[1][नियम 96ख : मालों के निर्यात पर अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय या समेकित कर संदाय की वापसी की वसूली जहां निर्यात की वसूली की प्रक्रिया नहीं की जाती है

(1) जहां मालों के निर्यात पर एकीकृत कर संदाय के लिए निवेश कर प्रत्यय उपयोग न किए गए की कोई वापसी किसी आवेदन को संदत्त की गई है किन्तु ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विक्रय की कार्यवाही संपूर्ण रूप से या उसके भाग रूप में वसूली नहीं की गयी है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर भारत में, ऐसी अवधि के किसी विस्तार को सम्मिलित करते हुए, वह व्यक्ति जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय की गई रकम को जमा करेगा, विक्रय प्रक्रिया के वसूली न किए गए विस्तार तक, उक्त अवधि के समाप्ति के तीस दिनों के भीतर लागू ब्याज के साथ, यथास्थिति, विस्तारित अवधि आती है, जिसमें वह रकम का प्रतिदाय किया गया है अधिनियम की [2][धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क] के उपबंधों के अनुसार वसूली जाएगी जैसे भी स्थिति हो, धारा 50 के अधीन ब्याज सहित त्रुटिपूर्ण वापसी के लिये वसूल की जाएगी :

परन्तु जहां विक्रय की प्रक्रिया या उसका कोई भाग ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर आवेदक द्वारा वसूली नहीं की गई है, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक गुणागुणों पर विक्रय प्रक्रियाओं की वसूली की आवश्यकता को अपलिखित करता है, आवेदक को संदत्त वसूली की वापसी नहीं होगी।

(2) जहां विक्रय प्रक्रिय आवेदक द्वारा वसूली की जाती है वसूली की रकम के पश्चात् संपूर्ण रूप से या उसके भाग रूप में उपनियम (1) के अधीन उससे वसूल की गयी है और आवेदक विक्रय प्रक्रिया के वसूली की तारीख से तीस महीने की अवधि के भीतर ऐसी वसूली के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ऐसी वसूली की गई रकम विक्रय प्रक्रियाओं के वसूली के विस्तार तक आवेदक को उचित अधिकारी द्वारा वापसी की जाएगी, परंतु विक्रय प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा–अनुज्ञात ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वसूल की गयी हो।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा नियम 96ख अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

2 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा ''धारा 73 या धारा 74'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।